खंड 1 संख्या 120

राष्ट्र महिला

जुलाई 2009 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

गत सप्ताह उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार की इस असफलता पर रोष व्यक्त किया कि वह देश में बढ़ते हुए तेजाब प्रहारों को रोकने की दिशा में कोई कठोर कानून बनाने या विद्यमान कानूनों में संशोधन करने पर कोई स्पष्ट मत नहीं बना पायी है।

इन भयावह घटनाओं के बारे में सबसे अफसोसजनक बात यह है कि जब पीड़िता अपनी मृत्यु से संघर्ष कर रही होती है, अपराधी को आसानी से जमानत मिल जाती है। यदि पीड़िता जीवित भी बच जाये तो जीवन-पर्यन्त उसे अपने शरीर पर हुए भद्दे दागों से उत्पन्न मानसिक त्रासदी की दशा में रहना पड़ता हे क्योंकि तेजाब से किए गये ये प्रहार बहुधा कुरूपता, यहां तक कि अंधापन भी ला सकते हैं। ऐसे समाज में जहां लोगों में अपंगों के प्रति बहुत कम सहानुभूति है, हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि तेजाब के प्रहार के पीड़ितों की दशा कितनी दयनीय होगी।

तेजाब प्रहार के पीड़ितों का पुनर्वास भी कठिन है क्योंकि प्लास्टिक सर्जनी, त्वचा प्रत्यारोपण अथवा पुनर्निर्माण सर्जरी न केवल बहुत महंगी हैं, अपितु पूर्ण सुधार असंभव है। शिक्षित और काम पर लगी महिलाएं अपना रोज़गार खो देती हैं और एकाएक आर्थिक रूप से निर्भर बन जाती हैं।

इस अपराध की गंभीरता को देखते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने तेजाब प्रहार अपराध (रोकथाम) विधेयक, 2008 तैयार किया है। विधेयक के मसौदे में प्रस्ताव किया गया है कि तेजाब प्रहार के अपराधों को अलग से वर्गीकृत किया जाये। विशिष्ट रूप से तेजाब प्रहारों से निबटने वाला यह विधेयक केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। इसमें पीड़ितों के इलाज तथा पुनर्वास की योजना भी शामिल की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा भारतीय दंड संहिता में

चर्चा में — तेजाब से प्रहार विधेयक को अविलम्ब पारित करना

सुझाये गये संशोधनों से तेजाब प्रहार एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बन जायेगा जिसकी सज़ा 10 वर्ष के कारावास से कम नहीं होगी।

आयोग ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 35 में तथा साक्ष्य अधिनियम में यह संशोधन किए जाने का सुझाव भी दिया है कि पीड़िता के बयान को अपराधी को और अपराधी की परिसम्पत्तियों में से उसे मुआवज़ा देने के लिए पर्याप्त समझा जाये।

दोषी पर न्यूनतम 2 लाख रुपये का जुर्माना, जो 5 लाख रुपये तक हो सकता है, किए जाने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है। एक राष्ट्रीय तेजाब प्रहार पीड़ित सहायता बोर्ड स्थापित करने का सुझाव भी दिया गया है जो तेजाब प्रहार किए जाने के मामले में प्रथम दृष्टि से संतुष्ट होने पर कि वास्तव में ऐसा प्रहार किया गया है, 30 दिन के भीतर 5 लाख रुपये की अंतरिम आर्थिक सहायता दे सकता है।

आशा की जाती है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश की दृष्टि में, केन्द्र सरकार शीघ्र से शीघ्र यह विधान पारित करेगी और इस विधेयक का वही हाल नहीं होगा जो महिला आरक्षण विधेयक का हुआ है।

पटना में महिला को सार्वजनिक रूप से नग्न किया गया

राष्ट्रीय महिला आयोग ने बिहार सरकार से इस घटना के बारे में रिपोर्ट मांगी है कि एक महिला को कुछ लोगों ने कथित रूप से सरे बाज़ार पीटा और नग्न किया जबकि उन्हें मालूम हुआ कि वह एक सेक्स कर्मी है और एक पुरुष के साथ, जो दलाल समझा जाता है, पैसे के मामले में उसका झगड़ा हुआ है।

टी.वी. चैनलों द्वारा दिखायी गई इस घटना से आयोग सकते में रह गया। आयोग ने इस बीस-वर्षीय महिला की सार्वजनिक बेइज्जती की जाने की भर्त्सना की। आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास ने कहा कि "टी.वी. पर यह घटना-क्रम देख कर मुझे बड़ा आघात पहुंचा है और इसके लिए न केवल इसे अंजाम देने वालों को अपितु दर्शकों को भी सज़ा मिलना चाहिए।"

बलात्कार पीड़ितों के लिए आयोग की योजना

बलात्कार तथा सामूहिक बलात्कार की घटनाओं से घोर विक्षुब्ध होकर, राष्ट्रीय महिला आयोग ने बलात्कार पीड़ितों की राहत तथा पुनर्वास योजना को शीघ्र कार्यान्वित किए जाने का आग्रह किया हे। आयोग ने प्रधान मंत्री को लिखा है कि बलात्कार-विरोधी कानून को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसके दायरे में महिलाओं एवं बच्चों के प्रति किए जाने वाले घृणित प्रकार के यौन अपराधों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

मीडिया के लोगों से बात करते हुए, आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास ने कहा कि यौन प्रहार संबंधी कानूनों की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि वर्तमान कानून में नये प्रकार के यौन प्रहारों को परिभाषित और परिलक्षित नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि विभिन्न अन्य प्रकार के सेक्स प्रहारों को भी इसमें शामिल करने के प्रयोजन से नये सिरे से इसकी परिभाषा की जाये। ये सिफारिशें आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परामर्श पर आधारित थीं।

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर तैयार की गयी इस योजना में बलात्कार पीड़ितों का वित्तीय सहायता द्वारा पुनर्वास किए जाने की सिफारिशें हैं। डा. व्यास ने कहा कि "बलात्कार पीड़ितों के पुनर्वास के लिए प्रत्येक जिले में एक आपराधिक आघात मुआवज़ा बोर्ड स्थापित करना आवश्यक है। यह बोर्ड पीड़ितों को वित्तीय सहायता देने संबंधी

प्रेस सम्मेलन में डा. गिरिजा व्यास

मामलों को देखेगा। पीड़ितों को मानसिक पीड़ा तो पहुंचती ही है, परन्तु कभी-कभी वे वित्तीय रूप से इतनी कमजोर होती हैं और कुछ मामलों में इतनी सदमाग्रस्त होती हैं कि स्वयं अपनी सहायता नहीं कर पातीं। यह बोर्ड राज्य सरकारों के साथ उनकी पुनर्वास योजना का कार्यान्वयन करेगा।"

बलात्कार पीड़ितों के पुनर्वास की योजना पर राष्ट्रीय महिला आयोग निगरानी रखेगा और यह ऐसे सभी मामलों पर लागू होगी जिनमें आवेदन-पत्र या तो पीड़िता द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरा जायेगा। बोर्ड के लिए किया गया बजट प्रावधान राज्यों को अनुदान-सहायता के रूप में हस्तांतरित कर दिया जायेगा। यह संतुष्ट होने पर कि प्रथम दृष्टया बलात्कार का मामला बनता है, बोर्ड न्यूनतम 20,000 रुपये की अंतरिम सहायता पीड़ित को देगा और बलात्कार के आरोपी का अपराध साबित होने पर 2 लाख रुपये की अंतिम सहायता देगा।

डा. व्यास ने कहा "अपनी बलात्कार संबंधित सिफारिशों में हमने सुझाव दिया है कि नाबालिगों के बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हिरासत में किए गए योन प्रहार और नियोक्ता द्वारा किए गये बलात्कार के मामलों में अधिक कठोर सज़ा का प्रावधान किया जाये। यदि किसी भरोसे के या आधिकारिक पद पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा बलात्कार किया गया है तो उसे कम से कम दस वर्ष के कारावास की सज़ा, जो आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती हे, दी जानी चाहिए। इन परिवर्तनों से काफी सीमा तक बाल व्याभिचार और दुराचार समाप्त हो सकता है।"

महत्वपूर्ण निर्णय

● उच्च न्यायालय ने भरण-पोषण का दायरा बढ़ाया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि पत्नी को दिया गया भरण-पोषण इतना काफी होना चाहिए जिससे कि वह उन्हीं सुविधाओं के साथ जीवन व्यतीत कर सके जो उसे अलग होने से पूर्व प्राप्त थीं।

एक पुनरीक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा, "भरण-पोषण प्रदान करते समय न्यायालय मात्र गुजारे की राशि नहीं देता क्योंकि भरण-पोषण का आशय यह आश्वस्त करना है कि संबंधित पक्ष उन्हीं सुविधाओं का उपभोग कर सके जो अलग होने से पूर्व उसे प्राप्त थीं।"

● हिन्दू विवाह के लिए मंगलसूत्र अनिवार्य नहीं : उच्च न्यायालय

एक महिला का 21 वर्ष तक चला यह प्रयत्न कि वह विवाहित है तब फलीभूत हुआ जब मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने उसके विवाह को यह कहते हुए वैध ठहराया कि "हिन्दुओं के बीच विवाह को साबित करने के लिए दुल्हे द्वारा दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाया जाना अनिवार्य शर्त नहीं है। यह साबित करना पर्याप्त है कि हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में किसी भी मान्य पद्धति से विवाह सम्पन्न हुआ था।" इन शब्दों के साथ खंडपीठ ने मुकदमा न्यायालय द्वारा विवाह को वैध ठहराने के निर्णय को चुनौती देने वाली अपील को नामंजूर कर दिया।

● बलात्कार, हत्या के लिए सैनिकों पर आम न्यायालयों में मुकदमा चलाया जाये : उच्च न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने निर्णय दिया है कि हत्या, बलात्कार आदि जैसे अपराधों के दोषी सैनिकों पर सैनिक न्यायालय के अलावा आम न्यायालयों में मुकदमा चलाया जा सकता है।

अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी एक सैनिक की पुनरीक्षा याचिका पर आदेश देते हुए, न्यायमूर्ति ए. सेलवाम ने कहा कि फौजदारी के अपराधों पर मुकदमों का क्षेत्राधिकार फौजदारी न्यायालय तथा सैनिक न्यायालय का समान रूप से है।

शिकायत कक्ष से

● जून, 2009 में गुजरात के सूरत जिले में एक 17 वर्षीय स्कूल की लड़की का कथित अपहरण करके चलती गाड़ी में उसका सामूहिक बलात्कार करने और फिल्म बनाने की घटना का राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया।

आयोग की जांच समिति ने मौके पर जा कर जांच-पड़ताल की और इस बात को बड़ा शोचनीय बताया कि दिन-दहाड़े चलती गाड़ी में यह घटना घटी और कहा कि यह प्रशासन की शिथिलता और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार उदासीनता प्रदर्शित करता है। समिति ने सिफारिश की कि :

(क) सरकार द्वारा पीड़िता को मुआवज़ा दिया जाये जो कम से कम दो लाख रुपये हो।

(ख) यथाशीघ्र पीड़िता का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज किया जाये।

(ग) जब तक कि न्यायालय में चार्जशीट दायर नहीं होती, मामले पर पूरी-पूरी निगरानी रखी जाये।

(घ) राज्य द्वारा पीड़िता तथा उसके परिवार के सदस्यों को समुचित सुरक्षा मुहैया कराई जाये। साथ ही, उन्हें स्थानीय प्रशासन/पुलिस की ओर से सभी संभव सहायता प्रदान की जाये।

● पुनर्वास सेंटर, शिमला में कुछ विकलांग लड़कियों के बलात्कार की कथित घटना का मामला आयोग ने हाथ में लिया। आयोग के हस्तक्षेप पर निम्नलिखित कार्यवाही की गयी :

(क) आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया।

(ख) सभी छः पीड़ितों की डॉक्टरी जांच की गयी और एक स्पीच विशेषज्ञ की सहायता से उनका बयान दर्ज किया गया।

(ग) आगे जांच के बाद, मामले में धाराएं 377, 354 और 511 भी जोड़ी गयीं।

(घ) चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

● बाह्य दिल्ली क्षेत्र के स्वरूप नगर में एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल द्वारा चलती गाड़ी में 12 वर्ष की एक नाबालिग लड़की के कथित बलात्कार के मामले का आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। आयोग के हस्तक्षेप पर निम्न कार्यवाही की गयी :

(क) आरोपियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर ली गयी। पुलिस हरकत में आयी और दो आरोपियों, अर्थात् पुलिस कांस्टेबल और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया।

(ख) आरोपी ट्रैफिक कांस्टेबल को नौकरी से निकाल दिया गया। अपराध में प्रयुक्त गाड़ी पुलिस ने पकड़ ली है।

- राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में गुवाहाटी में दो-दिवसीय कानूनी जागरुकता शिविर प्रायोजित किया जिसका आयोजन पूर्वोत्तर महिला उद्यमी संघ द्वारा किया गया।

  जिला सिबसागर के कमिश्नर ने शिविर का उद्घाटन करते हुए बताया कि सरकार ने असम में महिलाओं के कल्याणार्थ क्या सुविधाएं तथा योजनाएं प्रदान की हैं। आयोग की सदस्या सुश्री नीवा कंवर ने मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लिया।

कानूनी जागरुकता शिविर में सुश्री नीवा कंवर (दायें)

  जिले के विभिन्न भागों से लगभग 600 महिलाएं जागरुकता शिविर में भाग लेने आयीं। स्रोत व्यक्तियों के रूप में कानूनी विशेषज्ञ तथा सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। कानूनी मुद्दों पर कानूनी विशेषज्ञों के बीच लाभदायक विचार-विमर्श हुआ। पारिवारिक विवादों के तीन मामलों को कानूनी पेशेवरों ने सुना और चर्चा की। स्थानीय महिला समिति द्वारा मंत्रणा भी प्रदान की गयी। भागीदारों को घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम, 2005 के प्रावधानों से भी अवगत कराया गया।

- सदस्या वांसुक सयीम ने ऐज़वाल में आयोजित राज्य स्तरीय आर्थिक विकास कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर पर बोलते हुए सुश्री सयीम ने कहा कि 30 वर्ष के बाद भी मिज़ो महिलाओं ने रोज़गार तथा आत्म-निर्भरता की दिशा में पर्याप्त प्रगति नहीं की है। जबकि आर्थिक विकास में महिलाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, समाज तथा परिवार में उन्हें अधिकारों से वंचित रखा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रथागत कानूनों के अनुसार, महिलाएं पुरखों अथवा परिवार की संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं बन

कार्यशाला में सुश्री वांसुक सयीम (बायें से तीसरी)

सकतीं। कोई पुरुष बालक न होने पर भी, परिवार की संपत्ति पर पुत्री, बतौर अधिकार अपना दावा नहीं कर सकती और ऐसी संपत्ति बहुधा निकटतम पुरुष रिश्तेदारों को चली जाती है। उन्होंने कहा कि मिज़ो महिलाओं के उत्थान के लिए मिज़ो प्रथागत कानून को संहिताबद्ध किया जाना आवश्यक है।

उन्होंने आग्रह किया कि महिला विकास संबंधी केन्द्रीय योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन किया जाना चाहिए और इस बारे में अन्य सुझाव राष्ट्रीय महिला आयोग को आगे कार्यवाही के लिए भेजे जा सकते हैं।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट :
www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।